तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. अपील डिक्री/टीए/563/2006/भीलवाडा रामस्वरूप बनाम मूली व अन्य 2. अपील डिक्री/टीए/564/2006/भीलवाडा रामस्वरूप बनाम मूली व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.12.2021	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री बसन्त विजयवर्गीय, अधिवक्ता अपीलांट श्री चन्दनमल चौधरी व श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पो0 **निर्णय** उपरोक्त दोनों अपीलें अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा दिनांक 06.12.2005 व उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.4.02 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त दोनों अपीलों में पक्षकार समान होने व तथ्य भी समान है तथा एक ही निर्णय दिनांक 06.12.2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। इसलिए उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति उपरोक्त दोनों अपीलों में पृथक-पृथक से लगायी जावे। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 का विरूद्व प्रतिवादीगण/रेस्पो0 प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय ने दावे व जबाव दावे के आधार पर 6 तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय दिनांक 08.04.2002 में तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व तथा तनकी संख्या 3, 4, 5 प्रतिवादी के विरूद्व तथा वादी के पक्ष में निर्णित की तथा तनकी संख्या 6को विरचित कर कोई निर्णय नहीं करते हुये वादी का वाद निरस्त करते हुये उक्त भूमि को वादी के नाम से हटायी जाकर बिला नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील डिक्री/टीए/563/2006/भीलवाडा** **रामस्वरूप बनाम मूली व अन्य** **2. अपील डिक्री/टीए/564/2006/भीलवाडा** **रामस्वरूप बनाम मूली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित कर दिये। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध दो अलग-अलग अपीलें क्रमशः 225/02 व 203/02 अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2005 अस्वीकार कर लिया तथा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया। अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रकरण में सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य, दस्तावेज, विधि तथा विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को निर्णय पूर्णत विधि विरूद्ध है क्योंकि परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.5.1975 का विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ तथा ना ही वह साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित किया गया है तथा वादी/अपीलार्थी व रामपाल उक्त विक्रय पत्र से किस प्रकार पाबंद है यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। यह साक्ष्य पत्रावली पर थी कि रामकरण अपीलार्थी के पिता दिनांक 12.02.1962 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उक्त आराजी के खातेदार चले आ रहे है तथा नामांतरकरण संख्या 737 द्वारा उनका नाम राजस्व अभिलेख में खातेदार अंकित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में मांगी देवी को उक्त आराजीयात के बेचान की अधिकारिता नहीं थी तथा ऐसे बेचान से अपीलार्थी बाध्य नहीं है। ऐसी बेचान को मानकर वादी/अपीलांट का वाद डिक्री कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील डिक्री/टीए/563/2006/भीलवाडा** **रामस्वरूप बनाम मूली व अन्य** **2. अपील डिक्री/टीए/564/2006/भीलवाडा** **रामस्वरूप बनाम मूली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तर्क दिया कि तनकी संख्या 1 के सबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने ही दिनांक 01.7.1975 के विक्रय पत्र की वैधता को अलक विचारणीय बिन्दु मानते हुये उसकी वैधता पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। परन्तु उसे वैध मानते हुये मानते हुये अपीलार्थी को कब्जा पाने का अधिकारी नहीं मानकर उक्त तनकी वादी/अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णित करने में भारी भूल की है, जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपील अधिकारी ने अपने निर्णय में दिनांक 01.05.1975 के विक्रय पत्र को मानते हुये यह निष्कर्ष व्यक्त किया है कि कथित विक्रय पत्र दिनांक 01.05.1975 को 30 वर्षो से अधिक का समय हो जाने से राज्य सरकार भी धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत समयावधि निकल जाने से कार्यवाही नहीं कर सकती है। इसलिए प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगणकी अपील स्वीकार कर भूल की है क्योंकि राज्य सरकार इस प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है ऐसी स्थिति में जो पक्षकार ही नहीं है उसके सबंध में निष्कर्ष दिया गया जो विधिक विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2018(1) आर0आर0टी0 एससी पेज 317, 2005(1) आर0बी0 पेज 125, 2006(1) आर0बी0 पेज 19, 2000(4) डब्ल्यू0एल0सी0 राज. 452, 2006(4) डब्ल्यू0एल0सी0 राज. 615, 2006 आर0आर0टी0 पेज 275, 1998 आर0आर0टी0 पेज 507 आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 अपनी बहस में तर्क किया कि विवादित आराजी शुरू से ही कल्याण के पिता कजोड के खातेदारी की आराजी थी और जमानत के स्परूप आराजी का हस्तांतरण रामस्वरूप के हक में कराया गया था और जमानत राशि की अदायगी के पश्चात पुनः दिनांक 01.5.75 को पूर्व की स्थिति कायम करते हुये विक्रय पत्र तहरीर कराया गया जबकि वास्तव में कब्जे का हस्तांतरण न तो पूर्व में कभी हुआ	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1. अपील डिक्री/टीए/563/2006/भीलवाडा
रामस्वरूप बनाम मूली व अन्य
2. अपील डिक्री/टीए/564/2006/भीलवाडा
रामस्वरूप बनाम मूली व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>और ना ही बाद में कभी हुआ है। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विकल्प में यदि दिनांक 01.5.75 का विक्रय पत्र भी माना जाता है तो तब भी निर्धारित अवधि में जो वाद प्रस्तुत करना था वह नहीं किया गया है और इस संबंध में कल्याण के द्वारा आपत्ति भी की गयी किन्तु न्यायालय द्वारा इसे नजरअंदाज कर दिया गया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कोई विकय्र पत्र निष्पादित होना पाया जाता है तो तहसीलदार लैण्ड होल्डर का यह दायित्व है कि वह विक्रेता एवं क्रेता के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे किन्तु तहसीलदार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। कथित विक्रय पत्र दिनांक 0.105.1975 को भी 30 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है तथा राज्य सरकार द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही का समय भी निकल चुका है। अपीलांट रामस्वरूप के वाद के तहत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जो आदेश पारित किया वह भी विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनतापूर्वक अध्ययन किया।

परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि –
‘‘ समस्त तनकीयात वादी एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जा चुकी है तथा तनकी संख्या 1 के विवेचन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा उक्त आराजीयात 01.05.75 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को विक्रय कर दी गयी तथा</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1. अपील डिक्री/टीए/563/2006/भीलवाडा** **रामस्वरूप बनाम मूली व अन्य** **2. अपील डिक्री/टीए/564/2006/भीलवाडा** **रामस्वरूप बनाम मूली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एस0सी0 के सदस्य नहीं है, विक्रय पत्र रजिस्टर्ड है तथा उसे फर्जी मानने का कोई आधार नहीं है। आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा क्रय की गयी है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विपरीत है। अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई अधिकार उक्त आराजी पर नहीं है। वादी प्रतिफल प्राप्त कर चुका है । तथा प्रतिवादीगण ने कानूनी अवैध क्रय किया है। तथा आराजीयात पर प्रतिवादी का इस आराजी पर अवैध क्रय से कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42, 175(क) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 63 के तहत वादी के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो गया है। वादी अपने वाद पत्र को सिद्व कराने में असफल रहने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है तथा ग्राम पूलियाकंला में स्थित आराजी नं0 3536/15 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी के नाम से हटाई जाकर बिलानाम सरकार किये जाने के आदेश दिये जाते है।'' विवादित भूमि के सबंध में उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा उभपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के उपरांत तनकीयात का निर्माण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकीयात का निर्णय करते समय इस प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण व विवेचन करने के उपरांत ही विधिक निष्कर्ष पर पहुॅचते हुये निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकरण में जिस भूमि से संबंधित विवाद है। उस भूमि का अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सामान्य जाति के व्यक्तियों को लिखित दस्तावेज के द्वारा हस्तांतरण किया गय ा है। इस प्रकार के हस्तांतरण के संबंध में धारा 183बी व 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार पूर्णतया विधि विरूद्व होने से उक्त वर्णित दस्तावेजात के आधार पर सामान्य जाति के व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया कब्जा व अधिकार पूर्णतया विधि विरूद्व होना	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1. अपील डिक्री/टीए/563/2006/भीलवाडा
रामस्वरूप बनाम मूली व अन्य
2. अपील डिक्री/टीए/564/2006/भीलवाडा
रामस्वरूप बनाम मूली व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>सिद्ध व प्रमाणित होता है। इस संबंध में अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के विपरीत निर्णय पारित किया गया है। इसके लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा लिखित व मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था जो नहीं किये जाने से अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्यायोचित व विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा संख्या 6 में स्वयं स्वीकार किया है कि तथाकथित विक्रय पत्र धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत है। इसके उपरांत भी उनके द्वारा इस संबंध में मियाद का प्रश्न अंकित किया गया है। परन्तु इस प्रकार के विधि विरूद्ध दस्तावेजात पूर्णतया अवैध व शून्य की श्रेणी में आते है जिसके लिए मियाद का बिन्दु गौण होता है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि परीक्षण न्यायालय ने उनके यहां विचाराधीन वाद में उभयपक्षों की साक्ष्य व सुनवाई करने के उपरांत ही धारा 183बी के अतिरिक्त धारा 42, 175 व धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में रिकार्ड पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तनकी संख्या 6 में पूर्ण विवेचन करने के उपरांत ही निर्णय पारित किया है।

परिणामतः उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2005 विधिसंगत व न्यायोचित नहीं होने अपास्त किया जाता है तथा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष</td><td></td></tr>
</table>